इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2012-माघ 11, शक 1933

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्र. एफ 1-3-2000-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 1 फरवरी 2012 से शिवपुरी जिले की नरवर तहसील एवं करेरा तहसील की सीमाओं को उसमें से नरवर तहसील से 24 ग्रामों अर्थात् (1. दबरासानी, 2. पपरेड, 3. समूहा, 4. चंदोरा, 5. देहरेटा, 6. दाबरभाट, 7. करोड़ा इमलिया, 8. पचोरा, 9. नंदपुर, 10. चिरली, 11. बमरोली, 12. सिंगदौआ, 13. टोरियाखुर्द, 14. टोरियाकलां, 15. टोड़ापमार, 16. लेदा, 17. ठकुरई, 18. सड़, 19. अटा, 20. बूढ़ीमेव, 21. खुदावली, 22. टालमेव, 23. कल्याणपुर, 24. वीरपुर) को अपवर्जित करते हुए, तथा उक्त 24 ग्रामों को करेरा तहसील में समाविष्ट करते हुए, तथा 28 ग्रामों अर्थात् (1. बड़गौर, 2. छिडौरी, 3. पांचौर, 4. सडीहाखुर्द, 5. सडीहाबुजुर्ग, 6. निकारा, 7. बिरी, 8. लमकना, 9. रावखुर्द, 10. पनउआ, 11. कलोथरा सानी, 12. बिल्हारी कलां, 13. बिल्हारी खुर्द, 14. रावबुजुर्ग, 15. मडोरा, 16. तोरसनाई, 17. सनाई, 18. भासड़ाखुर्द, 19. सहदौरा, 20. गोधारी, 21. टकाकला, 22. भांसड़ाकलां, 23. दबरी पमारी, 24. जनौरी, 25. छिरैटा, 26. जगदौरा, 27. पुष्कर, 28. मउ) को अपवर्जित करते हुए तथा उक्त 28 ग्रामों को दितया जिले की दितया तहसील में समाविष्ट करते हुए, परिवर्तित करती है, और तद्नुसार जिला शिवपुरी एवं जिला दितया की सीमाएं भी परिवर्तित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्र. एफ 1-3-2000-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-3-2000-सात-शा. 6, दिनांक 31 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st January 2012

No. F. 1-3-2000-VII-S. 6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Narwar Tehsil and Karera Tehsil of District Shivpuri with effect from 1st February 2012 by excluding therefrom 24 villages (1. Dabra Sani, 2. Papredu, 3. Samoha, 4. Chandora, 5. Dehreta, 6. Dabar Bhat, 7. Kadora Imaliya, 8. Pachora, 9. Nandpur, 10. Chirli, 11. Bamroli, 12. Singdaua, 13. Toriya Khurd, 14. Toriya Kalan, 15. Toda Parmar, 16. Leda, 17. Thakurai, 18. Sadh, 19. Ata, 20. Budimev, 21. Khudawali, 22. Talmev, 23. Kalyan Pur, 24. Virpur) of Narwar Tehsil and by including the said 24 villages in Karera Tehsil and alter the limits of Narwar Tehsil of District Shivpuri by excluding therefrom 28 villages (1. Badgaur, 2. Chhidori, 3. Panchor, 4. Sahida Khurd, 5. Sahida Bujurg, 6. Nekora, 7. Viri, 8. Lamkana, 9. Rao Khurd, 10. Panaua, 11. Kalothara Sani, 12. Bilhari Kalan, 13. Bilhari Khurd, 14. Rao Bujurg, 15. Mador, 16. Tor Sanai, 17. Sanai, 18. Bhasda Khurd, 19. Sahdora, 20. Godhari, 21. Taka Kalan, 22. Bhasda Kalan, 23. Dabri Pamari, 24. Janori, 25. Chhireta, 26. Jagdora, 27. Pushkar, 28. Mau) of Tehsil Narwar and by including the said 28 villages in Datia Tehsil of District Datia, and also alter the limits of District Shivpuri and District Datia accordingly.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, MANOJ SHRIVASTAV, Principal Secy.